



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09032026-270776
CG-DL-E-09032026-270776

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1150]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 9, 2026/फाल्गुन 18, 1947

No. 1150]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 9, 2026/PHALGUNA 18, 1947

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2026

का.आ. 1202(अ).— पेट्रोलियम नियम, 2002 के नियम 16(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की दिनांक 17 मार्च, 2023 की अधिसूचना एस.ओ. 1267(ई) के अनुक्रम में, केंद्र सरकार एतद्वारा सार्वजनिक हित में पेट्रोलियम और गैस के आयात की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, ओडिशा में धामरा पोर्ट {मेसर्स धामरा पोर्ट कंपनी लिमिटेड} के लिए अधिसूचना को पेट्रोलियम और गैस कार्गो के लिए भारत में समुद्री मार्ग से लैंडिंग पॉइंट के रूप में तीन साल की अवधि के लिए 16.03.2026 से 15.03.2029 तक विस्तारित करती है।

[फा. सं. ओ-25021/1/2022-एसएम (354818)]

वेंकटेशपति एस, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 9th March, 2026

S.O. 1202(E).— In exercise of the powers conferred under Rule 16(1) of the Petroleum Rules, 2002, and in continuation of the notification of Government of India, Ministry of Ports, Shipping and Waterways S.O. 1267(E) dated 17th March, 2023, the Central Government, in consideration of the necessity to import petroleum & gas in public interest, hereby extends the notification for Dhamra Port in Odisha {M/s Dhamra Port Company Limited} as a landing point for Petroleum and Gas cargo into India by Sea for a period of three years from 16.03.2026 to 15.03.2029.

[F. No. O-25021/1/2022-SM (354818)]

VENKATESAPATHY S, Jt. Secy.